POLICE SCOTLAND
Keeping people safe

COMMUNITY SAFETY GLASGOW
Working in partnership for a safer Glasgow

घृणा-जनित अपराध
और उसकी रिपोर्ट कैसे करें
(Hate Crime and how to report it – Hindi)

3rd Party Reporting
hatecrimescotland.org

घृणा-जनित अपराध को लेकर चुप न बैठें

3rd Party Reporting

hatecrimescotland.org

“स्कॉटलैंड की सरकार का मानना है कि आधुनिक स्कॉटलैंड में घृणा-जनित अपराध हरगिज स्वीकार करने की चीज नहीं है और हम इसे समाज से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

अलेक्स नील एमएसपी, सामाजिक न्याय, समुदायों और पेन्शनरों के अधिकारों के कैबिनेट सेक्रेटरी

घृणा-जनित अपराध क्या है?

स्कॉटलैंड की सरकार घृणा-जनित अपराध को किसी व्यक्ति या सम्पदा के प्रति ‘किसी भी पहचाने जाने योग्य सामाजिक समूह के खिलाफ ईर्ष्या या विद्वेष’ से प्रेरित अपराध के रूप में परिभाषित करती है. यदि आपको लगता है कि आपको निम्नांकित कारणों से निशाना बनाया गया है तो यह संभव है कि आप घृणा-जनित अपराध के शिकार हुए हैं:

- नस्ल/प्रजाति
- धर्म
- यौन अभिरुचि
- विपरीतलिंगी (ट्रांसजेंडर) के रूप में पहचान
- अक्षमता

यदि आपको लगता है कि आपको उपरोक्त कारणों से निशाना बनाया गया है तो कृपया पुलिस को इस बारे में बताएं. पुलिस घृणा-जनित अपराध को बड़ी गंभीरता से लेती है. यदि आप बताएंगे कि आपकी समझ से कोई घटना पक्षपात से प्रेरित है तो पुलिस उसे जरूर दर्ज़ करेगी और तहकीकात करेगी.

घृणा-जनित अपराध के कई रूप हो सकते हैं जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं लेकिन और भी कई रूप हो सकते हैं:

- शारीरिक हमला
- संपत्ति का आपराधिक नुकसान, जैसे: दीवार पर लिखना, आगजनी, तोड़-फोड़
- डराने-धमकाने का व्यवहार जिसमें अश्लील कॉल या इशारे भी शामिल हैं
- ऑनलाइन शोषण जैसे फेसबुक या ट्विटर पर कुछ पोस्ट करना
- आपत्तिजनक लेख-सामग्री जैसे पत्र, पुस्तिका, पोस्टर, इत्यादि
- मौखिक अपशब्द या अपमान जिसमें गाली देना भी शामिल है
- भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक शोषण
- तंग करना
- हत्या

यदि आप घृणा-जनित अपराध या घटना का अनुभव करते या उसे देखते हैं तो क्या करना चाहिए?

यदि आप किसी घृणा-जनित घटना को देखते या उसका अनुभव करते हैं, चाहे वह अपराध हो या न हो और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कोई मामूली या महत्वहीन घटना समझते हैं, यदि आप पुलिस में उसकी रिपोर्ट करने का निर्णय लेते हैं तो आपकी शिकायत दर्ज़ की जाएगी और उसे गंभीरता से लिया जाएगा. आप निम्नांकित विधियों से रिपोर्ट दे सकते हैं:

- किसी तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग केंद्र के माध्यम से
- 101 पर फोन करके
- पुलिस स्कॉटलैंड वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन रिपोर्टिंग सुविधा के माध्यम से

ध्यान रहे - यदि आपको तुरंत सहायता चाहिए तो हमेशा 999 पर पुलिस को फोन करें.

घृणा-जनित अपराध की रिपोर्ट क्यों दी जानी चाहिए?

घृणा-जनित अपराध की रिपोर्ट क्यों आवश्यक है, इसके कई कारण हैं.

- यदि आप इस तरह के अपराध के शिकार हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से आपको सलाह और सहायता मिल सकती है.
- इससे अपराध करने वाले व्यक्ति को आगे अपराध करने से रोका जा सकता है.
- इन सभी रिपोर्टों से आपके समुदाय और ग्लास्गो में घृणा-जनित अपराध की तस्वीर प्रस्तुत करने में मदद मिलती है. उनसे हमें यह पता चलता है कि किसी खास क्षेत्र में कोई समस्या तो नहीं है या किसी समुदाय विशेष को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा. इससे हमें समस्या से निबटने में मदद मिलती है.
- इससे किसी मामूली स्थिति को गंभीर रूप लेने से रोका जा सकेगा.
- आप इस मामले के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक होंगे और इससे लोगों के रवैये में बदलाव आएगा.
- आपकी सूचना के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने और दोषसिद्धि में मदद मिलेगी.
- आप भविष्य में घृणा-जनित अपराध को रोकने में हमारी मदद करेंगे.

तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग क्या है?

ऐसे बहुत से लोग हैं जो, अनेक कारणों से, सीधे पुलिस को किसी अपराध की सूचना देने से कतराते हैं. घृणा-जनित अपराध के शिकार या गवाह व्यक्ति पुलिस से सीधे सम्पर्क किए बिना भी तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग केंद्र के माध्यम से अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं. तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग केंद्र आपकी शिकायतों के बारे में चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित और सहयोगात्मक स्थान है. यदि आप पुलिस को घटना की रिपोर्ट देना चाहें तो वे आपकी ओर से रिपोर्ट दे सकते हैं. पुलिस उस पर ऐसे ही कार्यवाही करती है जैसे सीधे आपकी ओर से रिपोर्ट मिली हो.

आप तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग केंद्र से निवेदन कर सकते हैं कि वे पुलिस को कितनी कम या ज्यादा व्यक्तिगत सूचना दें - यदि आप नहीं चाहते तो आप अपना नाम भी नहीं बता सकते हैं. इन केन्द्रों को समुचित प्रशिक्षण प्राप्त है और वे आपको अतिरिक्त सलाह या सहायता दे सकते हैं.

ग्लासगो में कुछ तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग केन्द्रों की सूची आपको इस पुस्तिका के अंत में मिलेगी. सम्पूर्ण सूची के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.hatecrimescotland.org या www.scotland.police.uk देखें.

पुलिस को ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे दी जा सकती है?

ऑनलाइन रिपोर्टिंग के माध्यम से आप पुलिस की वेबसाइट से सीधे और गोपनीय रिपोर्ट दे सकते हैं. यह अज्ञातनाम (गुमनाम) रिपोर्ट भी हो सकती है हालांकि इससे पुलिस की सक्रियता सीमित हो सकती है. ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए, वेबसाइट www.scotland.police.uk में जाएं और “रिपोर्ट हेट क्राइम” पर क्लिक करें.

ग्लासगो तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग केंद्र

ब्रिटिश डेफ एसोसिएशन (स्कॉटलैंड)
1st Floor Central Chambers Suite 58 93
Hope St
Glasgow, G2 6LD
0141 2485554

एथनिक माइनॉरिटीज लॉ सेंटर
41 St Vincent Place
Glasgow, G1 2ER
0141 2042888

क्वींस क्रॉस हाउसिंग
45 Firhill Road
Glasgow, G20 7BE
0141 5897424

ग्लासगो सेंटर फॉर इन्क्लूसिव लिविंग
117-127 Brook Street
Glasgow, G40 3AP
0141 5507468

मेरीहिल इंटिग्रेशन नेटवर्क
35 Avenuepark St
Glasgow, G20 8TS
0141 9469106

विक्टिम सपोर्ट स्कॉटलैंड
Abbey House, 2nd Floor
10 Bothwell Street,
Glasgow, G2 6LU
0141 5532415

ग्लासगो डिसएबिलिटी एलायंस युनिट
301Templeton Business Centre
Templeton St
Glasgow, G40 1DA
0141 5567103

अमीना मुस्लिम वीमेन्स रिसोर्स सेंटर
0808 8010301

आर्डेनग्लेन हाउसिंग एसोसिएशन
355 Tormusk Rd Castlemilk
Glasgow, G45 0HF
0141 6348016

एल्डरपार्क हाउसिंग एसोसिएशन
31 Garmouth Street
Govan
Glasgow, G51 3PR
0141 4402244

स्कॉटिश रिफ्यूजी कौंसिल
5 Cadogan Square,
Glasgow, G2 7PH
0141 2489799

पॉजिटिव ऐक्शन इन हाउसिंग
98 West George Street
Glasgow, G2 1PJ
0141 3532220

ग्लासगो असाइलम ऍंड रिफ्यूजी सर्विस
Hamish Allan Centre
180 Centre Street
Glasgow, G5 8EE
0141 2768245

ग्लासगो वीमेन्स लाइब्रेरी
23 Landressy Street
Bridgeton
Glasgow, G40 1BP
0141 5502267

गोवैनहिल हाउसिंग एसोसिएशन
Samaratin House
79 Coplaw Street
Glasgow, G42 7JG
0141 6363636

ग्रेटर पॉलक इंटिग्रेशन नेटवर्क
Flat 11, 70 Kennishead Avenue
Glasgow, G46 8RP
0141 6492000

वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड रेशियल इक्वेलिटी कौंसिल (WSREC)
39 Napiershall St
Glasgow, G20 6EZ
0141 3376626

एलजीबीटी यूथ स्कॉटलैंड
3/2, 30 Bell Street
Glasgow, G1 1LG
0141 5527425

गोवन ऐंड क्रैगटन इंटिग्रेशन नेटवर्क
Pearce Institute, 840 Govan Rd
Glasgow
0141 445 3718

दि वेल मल्टिकल्चरल एडवाइस सेंटर
42-44 Albert Road
Glasgow, G42 8DN
0141 4244523

वेवरली केयर अफ्रिकन हेल्थ प्रोजेक्ट
12 Queen's Crescent
Glasgow, G4 9AS
0141 3322520

वी स्टेप टुगेदर
Drumchapel Community Centre
320 Kinfauns Dr
Glasgow, G15
07826 255944

डीआरसी जेनरेशंस
102 Kingsway
Glasgow, G14 9YS
0141 5843211

वर्ज़ीनिया गैलरी
45 Virginia Street
Glasgow, G1 1TS
0141 5525699

डेफ कनेक्शंस
100 Norfolk Street
Glasgow, G5 9EJ
enquiries@deafconnections.co.uk

स्कॉटिश एथनिक प्राइवेट हायर वेलफेयर एसोसिएशन
71-73 Kingston Street
Glasgow
G5 8BJ
07859 995637

तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग केन्द्रों की सम्पूर्ण और नवीनतम सूची के लिए यह वेबसाइट देखें:
www.hatecrimescotland.org

3rd Party Reporting
hatecrimescotland.org

POLICE SCOTLAND
Keeping people safe

COMMUNITY SAFETY GLASGOW
Working in partnership for a safer Glasgow

CommSafetyGlasgow @CommSafetyGlasg

Eastgate, 727 London Road, Glasgow G40 3AQ.

टेलि.: 0141 276 7400 वेब: www.communitysafetyglasgow.org
ईमेल: enquiries@communitysafetyglasgow.org

Glasgow CITY COUNCIL
POLICE SCOTLAND Keeping people safe
SCOTTISH POLICE AUTHORITY

कम्युनिटी सेफ्टी ग्लासगो, स्कॉटलैंड में निगमित एक लिमिटेड कम्पनी (नं. 130604) और एक रजिस्टर्ड चैरिटी (SCO17889) है. मैनेजिंग डायरेक्टर: फिल वॉकर,